

// आवश्यक सूचना //

बी.एड./डी.एल.एड./बी.एससी.बी.एड./बी.ए.बी.एड. के ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में जिन अभ्यर्थियों ने पिछले चरणों में विकल्प फार्म भरा था परन्तु उनके रैंक पीछे होने के कारण सीट्स आबंटन नहीं हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी यदि पिछले चरणों में दिये गये महाविद्यालयों के विकल्प में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें आगामी तीसरे चरण में विकल्प फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है उनके आवेदन को तीसरे चरण के लिए प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। परन्तु यदि वे अपने दिये गये विकल्प में कोई परिवर्तन (महाविद्यालय की संख्या या दिये गये प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन) करना चाहते हैं तो ही पुनः शुल्क जमा कर विकल्प फार्म भर सकते हैं।

यदि अभ्यर्थी को किसी भी चरण में महाविद्यालय आबंटित होता है तो या तो वे आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लें या वे एक बार पूर्व चरण के आबंटन को निरस्त कर पुनः काउंसिलिंग शुल्क जमा कर विकल्प फार्म भर सकते हैं परन्तु यह अवसर उन्हें केवल एक बार मिलेगा अर्थात् यदि किसी अभ्यर्थी ने प्रथम चरण में आबंटित महाविद्यालय को निरस्त कर दूसरे चरण में पुनः फार्म भरा होगा और उन्हें दूसरे चरण में आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी तीसरे चरण में विकल्प फार्म नहीं भर सकते हैं क्योंकि नियमों के अनुसार आबंटन निरस्त करने का अवसर केवल एक बार ही दिया जाता है। इस कारण अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे परिषद् के वेबसाइट में दिये गये दिशा-निर्देश का अध्ययन कर ही जिन महाविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते हैं उसी महाविद्यालय का विकल्प वेबसाइट में दिये गये पिछले चरण के Cut-off का अध्ययन कर सोच-विचार कर करें। आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

आबंटन सूची की जानकारी जिस वेबसाइट में अभ्यर्थियों ने विकल्प फार्म भरा है उसी वेबसाइट से प्राप्त करें।

नोट – उपरोक्त समस्त जानकारी परिषद् द्वारा दिनांक 27.07.2019 को जारी विस्तृत विवरण में है जो कि SCERT के वेबसाइट में Upload है यह पूर्व में दिये गये विवरण का स्पष्टीकरण है।



प्रकोष्ठ प्रभारी

बी.एड.

एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग., रायपुर